

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 587]

नवा रायपुर, बुधवार, दिनांक 30 जुलाई 2025 — श्रावण 8, शक 1947

गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 14 जुलाई 2025

अधिसूचना

क्रमांक ESTB-1/1282/2025-HOME SECTION.— राज्य सरकार, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 265 की उप-धारा (3) के द्वितीय परंतुक, धारा 266 की उप धारा (2) के द्वितीय परंतुक तथा धारा 308 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, कलेक्टर जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा एवं उसके अधिकार क्षेत्र में स्थित जिला कलेक्टोरेट एवं अन्य कार्यालयों में संचालित निम्नलिखित विडियो कांफ्रेंसिंग कक्षों को निर्दिष्ट स्थानों के रूप में अधिसूचित करता है अर्थात्:—

क्रमांक	स्थान	निर्दिष्ट विडियो कांफ्रेंसिंग कक्ष
1	दंतेवाड़ा	कार्यालय कलेक्टर
2	दंतेवाड़ा	कार्यालय पुलिस अधीक्षक
3	दंतेवाड़ा	कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व
4	गीदम	कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व
5	दंतेवाड़ा	कार्यालय तहसीलदार
6	गीदम	कार्यालय तहसीलदार
7	कुआकोण्डा	कार्यालय तहसीलदार
8	कटेकल्याण	कार्यालय तहसीलदार
9	बारसूर	कार्यालय तहसीलदार
10	बडेबचेली	कार्यालय तहसीलदार
11	अरनपूर	पुलिस थाना
12	बचेली	पुलिस थाना
13	भांसी	पुलिस थाना
14	दंतेवाड़ा	पुलिस थाना
15	फरसपाल	पुलिस थाना
16	गीदम	पुलिस थाना
17	कटेकल्याण	पुलिस थाना
18	कुआकोण्डा	पुलिस थाना
19	किरन्दुल	पुलिस थाना

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अभिषेक अग्रवाल, उप-सचिव.